



५४/।।

दूरभाष 2280709
2280710

नगर निवास कंप्ल 10 प्रशाक मार्ग लखनऊ 220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : ५५६५/०५/७६/एक/2015-16

रोवा गे.

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-कानपुर देहात।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा छूटा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आईएफएसडीपी योजनान्तर्गत निम्नसिखित विवरण के अनुसार धनराशि आन्तरित की जा चुकी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख रु ० में)			
दैक का नाम दैक नाम वर्णन	खाता संख्या	आईएफएससी कोड HS Code	धनराशि
	30700100005611	BARBOMALINX	148.140

जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	प्रश्नगत परियोजनाओं में शासन द्वारा प्राप्त धनराशि के संपेक्ष वर्किंग कार्ट/लेवर सेस/अग्रिम का समायोजनोपरान्त धनराशि का प्रेषण				
			वर्किंग कार्ट	लेवर सेस	कुल	अग्रिम का समायोजन	प्रेषित की जा रही धनराशि
कानपुर देहात/शिवली	अनु० ३७/८३ पीएलए	132	143.540	4.600	148.140	0.000	148.140
	योग		143.540	4.600	148.140	0.000	148.140

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय आईएफएसडीपी योजनान्तर्गत सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की डीपीआर के साथ पठित पीएफएडी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी रखीकृतियों में वर्णित मदों पर ही किया जाये जिनके लिये धनराशि रखीकृत की गयी है। परियोजना की डीपीआर में रखीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्यदायी संस्था का तदनुसार धनराशि दी जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है उसके साथ भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए। उपरोक्त मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में व्यय करना और दिशा निर्देश का अनुपालन न करना वित्तीय अनियंत्रिता की श्रेणी में आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्ययवर्तन अनुमत्य न होगा। उक्त परियोजना प्रत्येक दशा में माह दिसम्बर 2016 तक पूर्ण की जानी है तदोपरान्त भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व छूटा द्वारा एगोओगू कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा:-

- समस्त कार्य मूल्यवृद्धि की डीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण करने होंगे।
- मार्च 2017 तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र रूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- इस मूल्यवृद्धि के बाद पुनः किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- उपलब्ध रखीकृत धनराशि दो समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करने होंगे।



५८२

दूरभाष 2286709

2286710

नव घटना केन्द्र 10 प्रशाक मार्ग लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- 5- निर्माणाधीन आवास निर्माण पर लागार्थी अंशदान संशोधित दस्ती पर छुड़ा द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लागार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उत्तीर्ण लागत का कार्य कायदायी संस्था द्वारा छोड़ दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये हैं।
- 6- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार परियोजना की वलोजर रिपोर्ट अभियान मुख्यालय को छुड़ा के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।
- 7- सृजित की गई परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (यूपएल०वी०) को करना होगा और उक्त का प्रगाण पत्र सूडा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

भवदीय,
(लाल अंताम सिंह)
वित्त मियन्ड्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
2. परियोजना निदेशक, रोड०एण्ड डी०एस०, छुड़ा इकाई-सम्बन्धित जनपद।
3. परियोजना अधिकारी-सूडा।
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल अंताम सिंह)
वित्त मियन्ड्रक